न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :302/2011

वादीगण :-

1. हापूराम पुत्र सदा जाति–जाट, निवासी–हनुवासंकलां, तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली (राजस्थान)
2. जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पाली
3. जीवणराम पुत्र धीसारामजी जाति चौकिदार निवासी हनुवांसकलां
4. पेमाराम पुत्र लाबुरामजी चौकिदार निवासी हनुवांसकलां
5. मोहनलाल पुत्र मंगलारामजी जाति जाट निवासी हनुवांसकलां तहसील–जैतारण, जिला–पाली
6. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् अतिक्रमण हटाने व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.12.12.2011

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 21/05/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी व उसके अन्य हिस्सेदारों की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व मौजा हुनावासं कलां पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में स्थित खसरा नं. 62 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की भूमि आई हुई है। जिसके 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्त वादी है एवं शेष 2/3 हस्से के खातेदार अन्य सह हिस्सेदार हैं इस भूमि को आगे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा नक्शा ट्रेश असल सीट की फोटो प्रति इस वादपत्र के साथ प्रेश हैं वादी के हक हिस्से की खातेदारी जमीन के चिपते ही पश्चिमी तरफ गैर मुमकिन आबादी की जमीन आई हैं जिसमें वादी का पट्टासुदा प्लोट भी हैं तथा इसी खातेदरी जमीन के दक्षिणी तरफ गौचर भूमि हैं तथा पूर्वी तरफ गांव हनुवासं कलां की सरहद हैं व उसके बाद हनुवासं खुर्द की सरहद है तथा उत्तरी तरफ वादी व अन्य हिस्सेदारों की शेष खसरा नम्बरान की खातेदारी जमीन हैं वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 62 की जमीन में जमीन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का काई मालिकाना व वैधानिक हक अधिकार प्राप्त नहीं हैं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 01व 02 के विभाग के अधिकारियों ने कुछ वर्ष पूर्व वादी की बिना सहमति व जानकरी के ही इस खसरा नम्बर 62 की जगीन में बतौर अतिक्रमी के आगनवाडी कर भवन बना दिया जो कतई अनुचित हैं उक्त आगनवाडी भवन बनाये जाने में वादी ने किसी प्रकार की कोई सहमति नही दी थी प्रतिवादीगण ने यह कहते हुये भवन का निर्माण करवा लिया हम उक्त भवन गांवाई आबादी की भूमि में बना रहें हैं लेकिन वास्तविकता में उन्होने वादी की खातेदारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुये उक्त भवन का निर्माण करवा लिया हैं इस बाबत् वादी के पुत्र भीकाराम ने तहसीलदारजी जैतारण के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर इस खातेदारी जमीन का नाप करवाया तब वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त आगनवाडी का निर्माण वादी की खातेदारी जमीन मे हो रखा हैं नकल फर्द मौका रिर्पाट दिनांक 18.11.2011 की इस वादप्रत्र के साथ पेश हैं वादी ने अपनी खातेदारी जमीन का नाप चौप करवाने व सीमाओं का ज्ञान होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 से मौखिक व लिखित में निवेदन किया कि वे उक्त आंगनवाडी भवन को हटा लेवे व पुनः नये सिरे से सरकारी भूमि पर ही उक्त भवन बनावे लेकिन प्रनिवादीगण संख्या 01 व 02 वादी की सुनवाई नही कर रहें हैं दिनांक 08.12.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ने अपने विभाग द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने से इन्कार कर दिया हैं वादी अपने खातेदारी व हकसुदा जमीन पर से अधिकारी हैं तथा वादीगण को इस जमीन पर किसी प्रकार का कोई वैधानिक व मालिकाना हक व अधिकारी भी प्राप्त नहीं हैं प्रतिवादीगण कानूनन अतिक्रमी हैं जिन्हे विधिक प्रकिया से हटाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है इसलिये यह वादपत्र बाबत् हटाने अतिक्रमण का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं प्रतिवादीगण संख्या 03 व 05 की नियत भी खराब हैं आये दिन पादी की इस खातेदारी जमीन की पश्चिमी व दक्षिणी सीमाओं को लेकर के वाद विवाद व लडाई झगडे कर रहें साथ ही वादी की इस खातेदारी जमीन के पश्चिमी तरफ करवाये गये निर्माण को हटाने बाबत् भी गलत सूचनाओं व तथ्यों के आधार पर शिकायते कर रहे हैं एवं मौके पर कानून हाथ में लेकर के किये गये निर्माण को तुडवाने पर भी प्रतिवादीगण आमादा हैं प्रतिपवादीगण संख्या 03 व 05 उक्त वादी के निर्माण को हटवाकर खाली करवाये गये स्थल पर भी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को ही सौपने की कुचेष्ठा कर रहें हैं इसी बाबत् सभी प्रतिवादीगण सलाह मशविरा कर रहें हैं एवं अवैधानिक रूप से वादी के कब्जे व काश्त मे दखलंदाजी कर रहें हैं खातेदारी जमीन के पश्चिमी च दक्षिणी असैर सुराक्षार्थ करवाये गये निर्माण को जबरदस्ती हटानस चाह रहें हैं इस बाबत् बादी को एलानिया धमकिया भी दे रहें दिनांक 08.12.2011 को ही प्रतिवादीगण संख्या 03 व 05 ने वादी को कथन किया कि वे पश्चिमी और की गई दिवार निर्माण को हटाकर के उक्त जमीन को आंगनवाडी में मिला देगे जबकि प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी कब्जासुदा जमीन में हस्तक्षेप व दखलंदाजी करने का भी कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी यदि प्रतिवादीगण विधिक प्रावधानो से परे जाकर जबरदस्ती वादी को उसकी खातेदारी जमीन से बेदखल कर देते हैं तो वादी को असीम क्षति होगी वादी अपनी पैतृक पुश्तैनी जमीन से हमेशा हमेशा के वंचित हो जायेगा तब मौके पर विवाद होगा व वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करनें पडेगें जिससे टन्टा फसाद होगा व खून खचर होगा तब उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 राज्य

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सरकार के प्रतिनिधि हैं जो इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार हैं जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पुर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं परन्तु वादी का वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संम्भावना हे इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा हैं अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का अलग से साथ पेश हैं बिनाय वाद दिनांक 08.12.2011 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा वादी को इन्कार करने व वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम हुनावासं कलां व जैतारण में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है । इस प्रकार वकील वादी ने माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते जबाबदावा प्रतिवादी जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वंय उप.। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र गरनिया पेश हुई। मजमा ए आम में जानकारी प्राप्त की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब पेश किया कि उक्त विवादित भूमि पर उक्त भवन ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1994-95 में निर्माण करवाया गया हैं। निर्माण की कार्यकारी एजेन्सी भी ग्राम पंचायत ही हैं। जब से लेकर वर्ष 2011 तक पूर्व में कोई विवाद नही रहा हैं। वर्तमान में आंगनवाड़ी भवन संचालित होकर चालु हैं। बहस वकील वादी सुनी गई। प्रस्तुत वादी का वादपत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर मनन किया गया। बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी पर आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित होकर वर्तमान में चालु हैं। लिहाजा उक्त विवादित आराजी पर निर्मित आंगनवाड़ी भवन की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से गै. सा. को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझतें है।

-::आदेश::-

अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि मौजा हुनावासं कलां पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में स्थित खसरा नं. 62 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में उक्त विवादित आराजी पर निर्मित आंगनवाड़ी भवन की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से गै. सा. को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर लेख्य/ भण्डार जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-गरनिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :-

1. हापूराम पुत्र सदा जातियान-जाट, निवासी- हनुवासंकलां, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम प्रतिवादी :-

1. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली (राजस्थान)
2. जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पाली
3. जीवणराम पुत्र धीसारामजी जाति चौकिदार निवासी हनुवांसकलां
4. पेमाराम पुत्र लाबुरामजी चौकिदार निवासी हनुवांसकलां
5. मोहनलाल पुत्र मंगलारामजी जाति जाट निवासी हनुवांसकलां तहसील-जैतारण, जिला-पाली
6. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् अतिक्रमण हटाने व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 302/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-.... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी , अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री ओगड़राम कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिकी बहक वादीगण एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि मौजा हुनावासं कलां पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में स्थित खसरा नं. 62 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में उक्त विवादित आराजी पर निर्मित आंगनवाड़ी भवन की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से गै. सा. को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रसवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर लेख्य / भण्डार जमा हों।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/05/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०२	००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०३	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	०७	००	मिजानः-	०१	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner